One Person Company (एक व्यक्ति कंपनी)-

The Companies Act, 2013 completely revolutionized corporate laws in India by introducing several new concepts that did not exist previously. On such game-changer was the introduction of One Person Company concept. This led to the recognition of a completely new way of starting businesses that accorded flexibility which a company form of entity can offer, while also providing the protection of limited liability that sole proprietorship or partnerships lacked. Several other countries had already recognized the ability of individuals forming a company before the enactment of the new Companies Act in 2013. These included the likes of China, Singapore, UK, Australia, and the USA.

कंपनी अधिनियम, 2013 ने कई नई अवधारणाओं को पेश करके भारत में कॉर्पोरेट कानूनों में पूरी तरह से क्रांति ला दी, जो पहले मौजूद नहीं थीं। इस तरह के गेम-चेंजर पर वन पर्सन कंपनी की अवधारणा की शुरुआत थी। इसने व्यवसायों को शुरू करने के एक पूरी तरह से नए तरीके की पहचान की, जिसमें लचीलापन दिया गया था, जो कि कंपनी का एक रूप पेश कर सकता है, जबकि सीमित देयता की सुरक्षा भी प्रदान करता है जिसमें एकमात्र स्वामित्व या भागीदारी की कमी होती है। कई अन्य देशों ने 2013 में नए कंपनी अधिनियम के लागू होने से पहले ही कंपनी बनाने वाले व्यक्तियों की क्षमता को पहचान लिया था। इनमें चीन, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल थे।

Definition of One Person Company (एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा)

Section 2(62) of Companies Act defines a one-person company as a company that has only one person as to its member. Furthermore, members of a company are nothing but subscribers to its memorandum of association, or its shareholders. So, an OPC is effectively a company that has only one shareholder as its member. Such companies are generally created when there is only one founder/promoter for the business. Entrepreneurs whose businesses lie in early stages prefer to create OPCs instead of sole proprietorship business because of the several advantages that OPCs offer.

कंपनी अधिनियम की धारा 2(62) एक व्यक्ति की कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करती है जिसके सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति होता है। इसके अलावा, एक कंपनी के सदस्य और कुछ नहीं बल्कि उसके पार्षद सीमानियम, या उसके शेयरधारक होते हैं। तो, एक OPC प्रभावी रूप से एक कंपनी है जिसके सदस्य के रूप में केवल एक शेयरधारक होता है । ऐसी कंपनियां आम तौर पर तब बनाई जाती हैं जब व्यवसाय के लिए केवल एक संस्थापक/प्रवर्तक होता है। उद्यमी जिनके व्यवसाय प्रारंभिक अवस्था में हैं, OPC द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों के कारण एकल स्वामित्व व्यवसाय के बजाय OPC बनाना पसंद करते हैं।

Features of a One Person Company/ एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं

Here are some general features of a one-person company:

1. Private company: Section 3(1)(c) of the Companies Act says that a single person can form a company for any lawful purpose. It further describes OPCs as private companies.
   निजी कंपनी: कंपनी अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) कहती है कि एक अकेला व्यक्ति किसी भी वैध उद्देश्य के लिए कंपनी बना सकता है। यह आगे OPC को निजी कंपनियों के रूप में वर्णित करता है।

2. Single-member: OPCs can have only one member or shareholder, unlike other private companies.

   एकल सदस्य: अन्य निजी कंपनियों के विपरीत, OPC में केवल एक सदस्य या शेयरधारक हो सकता है।

3. Nominee: A unique feature of OPCs that separates it from other kinds of companies is that the sole member of the company has to mention a nominee while registering the company.
   नॉमिनी: OPC की एक अनूठी विशेषता जो इसे अन्य प्रकार की कंपनियों से अलग करती है, वह यह है कि कंपनी के एकमात्र सदस्य को कंपनी को पंजीकृत करते समय एक नॉमिनी का उल्लेख करना होता है।

4. No perpetual succession: Since there is only one member in an OPC, his death will result in the nominee choosing or rejecting to become its sole member. This does not happen in other companies as they follow the concept of perpetual succession.
   कोई स्थायी उत्तराधिकार नहीं: चूंकि OPC में केवल एक सदस्य होता है, उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप नामांकित व्यक्ति इसका एकमात्र सदस्य बनने का विकल्प चुनता है या अस्वीकार करता है। अन्य कंपनियों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वे सतत उत्तराधिकार की अवधारणा का पालन करते हैं।

5. Minimum one director: OPCs need to have minimum one person (the member) as director. They can have a maximum of 15 directors.
   न्यूनतम एक निदेशक: OPC में निदेशक के रूप में न्यूनतम एक व्यक्ति (सदस्य) होना चाहिए। उनके पास अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं।

6. No minimum paid-up share capital: Companies Act, 2013 has not prescribed any amount as minimum paid-up capital for OPCs.
   कोई न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी नहीं: कंपनी अधिनियम, 2013 ने OPC के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी के रूप में कोई राशि निर्धारित नहीं की है।

7. Special privileges: OPCs enjoy several privileges and exemptions under the Companies Act those other kinds of companies do not possess.
   विशेष विशेषाधिकार: OPC को कंपनी अधिनियम के तहत कई विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं जो अन्य प्रकार की कंपनियों के पास नहीं हैं।

Formation of One Person Companies / एक व्यक्ति कंपनियों का गठन

A single person can form an OPC by subscribing his name to the memorandum of association and fulfilling other requirements prescribed by the Companies Act, 2013. Such memorandum must state details of a nominee who shall become the company's sole member in case the original member dies or becomes incapable of entering into contractual relations.

This memorandum and the nominee's consent to his nomination should be filed to the Registrar of Companies along with an application of registration. Such nominee can withdraw his name at any point in time by submission of requisite applications to the Registrar. His nomination can also later be cancelled by the member.

कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकल व्यक्ति एक OPC बना सकता है। इस तरह के

ज्ञापन में एक नामित व्यक्ति का विवरण होना चाहिए जो मूल सदस्य की मृत्यु हो जाने या कंपनी का एकमात्र सदस्य बन जाएगा। संविदात्मक संबंधों में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाता है।

यह ज्ञापन और उसके नामांकन के लिए नामिती की सहमति पंजीकरण के आवेदन के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल की जानी चाहिए। ऐसा नामिती किसी भी समय रजिस्ट्रार को अपेक्षित आवेदन जमा करके अपना नाम वापस ले सकता है। उनका नामांकन बाद में सदस्य द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

Membership in One Person Companies/ एक व्यक्ति कंपनियों में सदस्यता:

Only natural persons who are Indian citizens and residents are eligible to form a one-person company in India. The same condition applies to nominees of OPCs. Further, such a natural person cannot be a member or nominee of more than one OPC at any point in time. It is important to note that only natural persons can become members of OPCs. This does not happen in the case of companies wherein companies themselves can own shares and be members. Further, the law prohibits minors from being members or nominees of OPCs.

केवल प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक और निवासी हैं, भारत में एक व्यक्ति कंपनी बनाने के लिए पात्र हैं। यही शर्त ओपीसी के नामांकित व्यक्तियों पर भी लागू होती है। इसके अलावा, ऐसा स्वाभाविक व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक ओपीसी का सदस्य या नामिती नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही ओपीसी के सदस्य बन सकते हैं। यह उन कंपनियों के मामले में नहीं होता है जिनमें कंपनियां खुद शेयर रख सकती हैं और सदस्य हो सकती हैं। इसके अलावा, कानून नाबालिगों को ओपीसी के सदस्य या नामित होने से रोकता है।